PCSMANTRA.COM

राजबंशी भाषा और आठवीं अनुसूची: घोषणा से संशोधन तक की राह

PCSMANTRA टीम 26 नवंबर 2026 6 मिनट में पढ़ें

समाचार: 25 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार संदर्भ: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार, 25 नवंबर 2026 को कूचबिहार में कहा कि राजबंशी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। यह भाजपा का 2026 के विधानसभा चुनाव का वादा था। यह एक राजनीतिक घोषणा है, संविधान में संशोधन नहीं: आठवीं अनुसूची में कोई भाषा तभी जुड़ती है, जब संसद संविधान संशोधन पारित करे। [1]

परीक्षा संदर्भ: आठवीं अनुसूची एक नियमित विषय है। इसमें अक्सर पूछा जाता है: भाषाओं की संख्या, जुड़ने के वर्ष, संबंधित अनुच्छेद और समावेश की प्रक्रिया। 'घोषणा' और 'समावेश' के अंतर का जाल परीक्षा में जाना-पहचाना है।

प्रिलिम्स: आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 344, 345, 351 और 368

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II: भारतीय संविधान: अनुसूचियाँ, संशोधन की प्रक्रिया; राजभाषा और भाषा नीति



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

▼ इस लेख में

1. खबरों में क्यों
2. आठवीं अनुसूची क्या है
3. राजबंशी का मामला: अभी कहाँ खड़ा है
4. समावेश की प्रक्रिया और कठिनाई
5. आगे की राह
6. प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
8. संदर्भ स्रोत

खबरों में क्यों

कूचबिहार में रास उत्सव के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि राजबंशी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव के साथ हुई बैठक में उठाया गया, जिसमें वे और राज्य के मुख्य सचिव शामिल थे। यह बात मुख्यमंत्री के बयान के रूप में दर्ज है। [1]

इससे पहले, एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव ने 19 फ़रवरी 2026 को (2026 के विधानसभा चुनाव से पहले) केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर राजबंशी और कुरमाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का औपचारिक प्रस्ताव भेजा था। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने इन दोनों भाषाओं को उन क्षेत्रों में राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, जहाँ उनके बोलने वाले एक निर्धारित हिस्से से अधिक हैं। [4]

> **परीक्षा का जाल:** मुख्यमंत्री का बयान या किसी दल का वादा आठवीं अनुसूची में समावेश नहीं है। समावेश तब होता है, जब संसद संविधान संशोधन पारित कर दे और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए। हमारे देखे गए स्रोतों में ऐसे किसी संशोधन विधेयक के पारित होने का प्रमाण नहीं है।

आठवीं अनुसूची क्या है

आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूची है, जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। इसका संबंध अनुच्छेद 344(1) और 351 से है। अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राजभाषा आयोग में आठवीं अनुसूची में दर्ज विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। [5] अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य बताता है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी तथा आठवीं अनुसूची में दर्ज अन्य भाषाओं के रूप, शैली और पदों को आत्मसात कर उसे समृद्ध करे। [8]

गृह मंत्रालय के अनुसार (लोकसभा उत्तर, 14 मार्च 2023) आठवीं अनुसूची में **22 भाषाएँ** हैं। उनके जुड़ने का क्रम यह है: [2]

कब	कौन-सी भाषाएँ	संख्या
26 जनवरी 1950 (संविधान के प्रारंभ पर)	असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया (उड़िया), पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू	14
10 अप्रैल 1967	सिंधी	1
31 अगस्त 1992	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली	3
7 जनवरी 2004	बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली	4

राजबंशी का मामला: अभी कहाँ खड़ा है

- **स्थिति:** समावेश की घोषणा और राज्य की ओर से प्रस्ताव है, पर समावेश नहीं हुआ है। [1] [4]
- **नाम का प्रश्न:** गृह मंत्रालय की 2023 की लंबित माँगों की सूची में 'कामतापुरी' का नाम है; उस सूची में 'राजबंशी' अलग से दर्ज नहीं है। [2] राज्य सभा में 11 दिसंबर 2025 को कार्यवाही-सूची की मद का शीर्षक 'कुरमाली और राजबंशी-कामतापुरी भाषाओं की मान्यता' था, और सदस्य ने 'राजबंशी और कामतापुरी भाषाओं' को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की। [9] गृह मंत्रालय इन दोनों नामों को किस रूप में देखता है, यह हमें स्रोतों में नहीं मिला, इसलिए इस लेख में इन्हें एक ही भाषा नहीं कहा गया है।
- **राज्य-स्तर की मान्यता:** राज्य का राजभाषा दर्जा अनुच्छेद 345 के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन रहते हुए राज्य विधान-मंडल क़ानून बनाकर राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं, या हिंदी, को राजकीय प्रयोजनों के लिए अपना सकता है। [6] यह आठवीं अनुसूची से अलग बात है।

समावेश की प्रक्रिया और कठिनाई

कोई तय मानदंड नहीं: गृह मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को लोकसभा में कहा कि आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। भाषाओं और बोलियों का विकास गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए मानदंड तय करना कठिन है। पाहवा (1996) और सीताकांत महापात्र (2003) समितियों के प्रयास अनिर्णायक रहे। इसी कारण माँगों पर विचार के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। [3]

संविधान संशोधन: आठवीं अनुसूची में कोई बदलाव संविधान संशोधन से ही होता है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार विधेयक प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। परंतुक में जिन विषयों के लिए आधे राज्यों के विधान-मंडलों का अनुसमर्थन ज़रूरी है (जैसे सातवीं अनुसूची की सूचियाँ), उनमें आठवीं अनुसूची शामिल नहीं है। [7]

लंबित माँगें: गृह मंत्रालय की 2023 की सूची में 38 भाषाएँ दर्ज थीं, जिनके समावेश की माँग की गई है, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, तुलु, गढ़वाली, कुमाउँनी और कामतापुरी। [2]

आगे की राह

जब तक मानदंड तय नहीं होते, हर माँग राजनीतिक और भावनात्मक आधार पर तौली जाएगी। इसलिए पारदर्शी मानदंड, भाषा-विशेषज्ञों की राय और बोलने वालों की संख्या जैसे वस्तुनिष्ठ आधार ज़रूरी हैं। तब तक राज्य अनुच्छेद 345 के तहत अपनी भाषाओं को राज्य-स्तर पर प्रोत्साहन दे सकते हैं, पर आठवीं अनुसूची का दर्जा केवल संसद के संशोधन से ही मिलेगा।

यह भी पढ़ें
मातृभाषा में शिक्षा का संवैधानिक दावा: पदम मेहता निर्णय
केरल से केरलम्: नाम-परिवर्तन अधिनियम, 2026 और संवैधानिक प्रक्रिया
शीतकालीन से पहले विशेष सत्र की अटकलें: महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक और 91 दिन का रिकॉर्ड

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा से अनुसूची में अपने आप बदलाव हो जाता है।

कथन 2: आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है।

कथन 3: आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान में स्पष्ट, निश्चित मानदंड दिए गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

कथन 1 ग़लत है: घोषणा या वादा अनुसूची को नहीं बदलता, बदलाव संसद के संशोधन से होता है। [1] [7]

कथन 2 सही है: आठवीं अनुसूची संविधान का भाग है, इसलिए उसमें बदलाव अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन से होता है। [7]

कथन 3 ग़लत है: गृह मंत्रालय के अनुसार कोई निश्चित मानदंड नहीं है, और पाहवा (1996) तथा सीताकांत महापात्र (2003) समितियों के प्रयास अनिर्णायक रहे। [3]

PCSMANTRA.COM

प्रश्न 2. आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सिंधी भाषा को 1967 में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

कथन 2: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में एक साथ शामिल किया गया।

कथन 3: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में शामिल किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d)

कथन 1 सही है: सिंधी को 10 अप्रैल 1967 को शामिल किया गया। [2]

कथन 2 सही है: तीनों भाषाएँ 31 अगस्त 1992 को शामिल हुईं। [2]

कथन 3 सही है: ये चारों भाषाएँ 7 जनवरी 2004 को शामिल हुईं। [2]

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है?

(a) संथाली

(b) भोजपुरी

(c) राजस्थानी

(d) तुलु

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

संथाली 7 जनवरी 2004 को आठवीं अनुसूची में शामिल हुई। [2]

भोजपुरी, राजस्थानी और तुलु उन भाषाओं में हैं, जिनके समावेश की माँग लंबित है। [2]

PCSMANTRA.COM

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या राजबंशी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल हो गई है?

नहीं। 25 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषा को शामिल किया जाएगा। यह एक घोषणा है। समावेश के लिए संसद को संविधान संशोधन पारित करना होगा। [1] [7]

आठवीं अनुसूची में अभी कितनी भाषाएँ हैं?

गृह मंत्रालय के अनुसार (लोकसभा उत्तर, 14 मार्च 2023) 22 भाषाएँ हैं। [2]

आठवीं अनुसूची में भाषा शामिल करने के मानदंड क्या हैं?

कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में लोकसभा में यही कहा, और बताया कि पाहवा (1996) तथा सीताकांत महापात्र (2003) समितियों के प्रयास अनिर्णायक रहे। [3]

आठवीं अनुसूची से जुड़े अनुच्छेद कौन-से हैं?

अनुच्छेद 344(1) और 351। पहला राजभाषा आयोग के गठन से और दूसरा हिंदी के प्रसार और समृद्धि से जुड़ा है। [5] [8]

संदर्भ स्रोत

1. [1] राजबंशी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल होगी: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कथन (द हिंदू, 26 नवंबर 2026): https://www.thehindu.com/news/national/west-bengal/rajbanshi-languageto-be-included-ineighth-schedule-of-constitutionsuvendu-adhikari/article71742836.ece
2. [2] गृह मंत्रालय, लोकसभा अतारांकित प्रश्न 2082 (14 मार्च 2023), आठवीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1711/AU2082.pdf
3. [3] गृह मंत्रालय, लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1584 (28 जुलाई 2026), आठवीं अनुसूची में भोजपुरी का समावेश (उत्तर में भाषाओं के समावेश की सामान्य नीति): https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU1584_zVgL9g.pdf
4. [4] समाचार रिपोर्ट: Bengal seeks Eighth Schedule status for Rajbanshi and Kurmali languages (द टेलीग्राफ, 23 फ़रवरी 2026): https://www.telegraphindia.com/west-bengal/kolkata/bengal-seeks-eighth-schedule-status-for-rajbanshi-and-kurmali-languages-prnt/cid/2148510
5. [5] भारत का संविधान: अनुच्छेद 344: https://www.constitutionofindia.net/articles/article-344-commission-and-committee-of-parliament-on-official-language/
6. [6] भारत का संविधान: अनुच्छेद 345: https://www.constitutionofindia.net/articles/article-345-official-language-or-languages-of-a-state/
7. [7] भारत का संविधान: अनुच्छेद 368: https://www.constitutionofindia.net/articles/article-368-power-of-parliament-to-amend-the-constitution-and-procedure-therefor/
8. [8] भारत का संविधान: अनुच्छेद 351: https://www.constitutionofindia.net/articles/article-351-directive-for-development-of-the-hindi-language/
9. [9] राज्य सभा, कार्यवाही का सार (11 दिसंबर 2025): कुरमाली और राजबंशी-कामतापुरी भाषाओं की मान्यता की माँग: https://cms.rajyasabha.nic.in/UploadedFiles/Synopsis/SynopsisUpload/Session_269/English_111225.pdf

PCSMANTRA.COM